धारा 7 : प्रतिकर की संगणना और उसका जारी किया जाना

(1) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर संक्रमणकालीन अवधि के दौरान, किसी राज्य को संदेय होगा।

(2) राज्य को संदेय प्रतिकर प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर अनन्तिम रूप से संगणित और जारी किया जाएगा तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा यथा संपरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम रूप से संगणित किया जाएगा :

परन्तु यदि, संगृहीत राजस्व के संपरीक्षित आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को प्रतिकर के रूप में कोई अतिरिक्त रकम जारी कर दी है तो इस प्रकार जारी की गई रकम पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में ऐसे राज्य को संदेय प्रतिकर की रकम के प्रति समायोजित की जाएगी।

(3) किसी राज्य को संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए संदेय कुल प्रतिकर निम्नलिखित रीति में संगणित किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा अनुमानित राजस्व, जो माल और सेवा कर के अभाव में किसी राज्य को प्रोद्भूत हुआ हो, धारा 6 के अनुसार संगणित किया जाएगा;**(ख)** संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा संगृहीत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा–

(i) राज्य द्वारा संगृहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन उक्त राज्य द्वारा दिए गए शुद्ध प्रतिदाय;

(ii) उस राज्य को प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर; और

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, क्रमिक राज्य द्वारा उद्‌गृहीत करों के मद्दे करों का कोई संग्रहण, ऐसे करों का शुद्ध प्रतिदाय;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में संदेय कुल प्रतिकर किसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट राज्य द्वारा संगृहीत वास्तविक राजस्व के बीच का अन्तर होगा।

(4) संक्रमण अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए किसी वर्ष में प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर राजस्व की हानि की संगणना उक्त अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् **:**

(क) अनुमानित राजस्व, जो क्रमिक वित्तीय वर्ष की सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक माल और सेवा कर के अभाव में राज्य द्वारा उपार्जित किया गया होता, धारा 6 के अनुसार, संगणित संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनुमानित राजस्व की प्रतिशतता के रूप में आनुपातिक आधार पर संगणित किया जाएगा।

दृष्टांत : यदि किसी वर्ष के लिए धारा 6 के अनुसार, संगृहीत अनुमानित राजस्व, एक सौ रूपए है तो ऐसे अनुमानित राजस्व, जो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए

दस मास की अवधि की समाप्ति तक उपार्जित किया जा सकता है, की संगणना करने का सुत्र, 100x(5/6) = 83.33 रूपए होगा;

(ख) किसी राज्य द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति तक संगृहीत वास्तविक राजस्व निम्नलिखित होगा–

(i) राज्य द्वारा संगृहीत राज्य कर से वास्तविक राजस्व, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 11 और अध्याय 20 के अधीन राज्य द्वारा दिए गए शुद्ध प्रतिदाय होगा;

(ii) [1]**[**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड**]** के प्रधान मुख्य लेखानियंत्रक द्वारा यथा प्रमाणित, उस राज्य के लिए प्रभाजित एकीकृत माल और सेवा कर होगा; और

(iii) धारा 5 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन, उक्त राज्य द्वारा उद्‌गृहीत करों का कोई भी संग्रहण, ऐसे करों का शुद्ध प्रतिदाय होगा;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत दो मास की अवधि की समाप्ति पर किसी राज्य को संदेय अनन्तिम प्रतिकर खण्ड (क) के अनुसार, सुसंगत अवधि की समाप्ति तक अनुमानित राजस्व और खण्ड (ख) में यथा निर्दिष्ट उक्त अवधि में राज्य द्वारा संगृहीत वास्तविक राजस्व में से संक्रमण अवधि के दौरान उक्त वित्तीय वर्ष में पूर्व दो मास की अवधि की समाप्ति तक राज्य को संदत्त अनन्तिम प्रतिकर को घटा कर आए राजस्व के बीच का अन्तर ऐसा होगा।

(5) भारत का नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से संपरीक्षित राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति पर उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार, संगणित राज्य को संदेय अन्तिम प्रतिकर की रकम और उपधारा (4) की उपबन्धों के अनुसार, उक्त वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को जारी कुल अनन्तिम प्रतिकर रकम, के बीच अंतर की दशा में उसे पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य को प्रतिकर के जारी किए जाने के प्रति समायोजित किया जाएगा।

(6) जहां किसी वित्तीय वर्ष में कोई प्रतिकर जारी नहीं किया जाना है और यदि पूर्व वर्ष में किसी राज्य को कोई अतिरिक्त रकम जारी की गई है तो वहां यह रकम केन्द्रीय सरकार को राज्य द्वारा वापस लौटा दी जाएगी और ऐसी रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निधि में जमा की जाएगी।

---

1 माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 34) द्वारा ''केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमा–शुल्क बोर्ड'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2019–माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर), दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।